भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या. *191

(जिसका उत्तर सोमवार, 09 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

दिवाला और शोधन अक्षमता संबंधी ढांचा

***191. श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी:**

श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिवाला और शोधन अक्षमता संबंधी एक सुदृढ़ ढांचा स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) वित्तीय सेवाप्रदाताओं के लिए दिवाला और परिसमापन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) देश में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधिनियमन के उपरांत प्राप्त परिणाम और उपलब्धियां क्या हैं; और

(घ) भारत में तथा अन्य देशों में दिवालियापन संबंधी ढांचों एवं कंपनियों को स्वेच्छा से शोधन अक्षमता और बंद करने हेतु आवेदन फाइल करने के लिए अनुज्ञात समय में अंतर का तुलनात्मक विश्लेषण क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'दिवाला और शोधन अक्षमता संबंधी ढांचा' के संबंध में 9 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 191 (11वां स्थान) के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): दिवाला समाधान की प्रक्रिया को मजबूत करने और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने आईबीसी में छह संशोधन किए हैं और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने आईबीसी की स्थापना के बाद से विनियमों में 100 से अधिक संशोधन किए हैं।

(ख): आईबीसी, वित्तीय सेवा प्रदाताओं (एफएसपी) को छोड़कर, कारपोरेट व्यक्तियों के पुनर्गठन, दिवाला समाधान और परिसमापन के लिए एक समेकित ढांचा प्रदान करता है। तथापि, आईबीसी की धारा 227 केंद्रीय सरकार को दिवाला और परिसमापन कार्यवाही के उद्देश्य से एफएसपी और एफएसपी की श्रेणियों को अधिसूचित करने में सक्षम बनाती है। तदनुसार, 18 नवंबर 2019 की अधिसूचना के माध्यम से, केंद्रीय सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के परामर्श से यह अधिसूचित किया कि अंतिम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की परिसंपत्ति वाली गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (जिसमें आवास वित्त कंपनियां शामिल हैं) की दिवाला समाधान और परिसमापन कार्यवाहियों को दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाता की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और न्यायनिर्णय प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2019 के साथ पठित संहिता के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ग): आईबीसी के तहत करपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत कुल 1068 मामलों का समाधान किया गया है, जिससे आईबीसी की स्थापना से सितंबर, 2024 तक लेनदारों को लगभग 3.55 लाख करोड़ रुपये की वसूली हुई है।

(घ): आईबीसी और उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत, करपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की समय सीमा 180 दिन है जिसे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एए) द्वारा 90 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया के लिए मॉडल समय-सीमा क्रमशः एक वर्ष और 270 दिन है। अन्य देशों के साथ समय-सीमा की तुलना के संबंध में, ऐसे कोई आंकडे नहीं रखे जाते हैं।

*****